


18/12

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीर्घ कार्यो में व्यस्त है, मिसल इल्लबा
होकर पत्रावली पुर्य आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 23/12 को पेश हो।

23/12

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील अमृत
व्यापारलय मध्य में प्रार्थी वकील व प्रार्थी को
रक 2 का तीन बार आवाज लावें। परन्तु
प्रार्थी वकील व प्रार्थी की ओर से कोई
भी उपो नकी दुज्जा। अतः प्रार्थी का आदेश
अदालत परकी अदालत कारी में खारीज किया जाता है।
पत्रावली वकील अमृत द्वारा  खरीज की।

खरीज से काम हो 